न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः—100/2024

जी.सी.एम.एस. संख्याः—2024/156

अपीलार्थीः—

1. रावलराम पुत्र श्री खिंयाराम
2. माधाराम उर्फ मदनराम पुत्र श्री हडमतराम जातियान दर्जी निवासीगण लुम्बानसर (सुवालिया), तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः—

1. बाबूराम पुत्र बन्नाराम
2. अचला पुत्र बन्नाराम
3. रामूराम पुत्र मानाराम
4. गोरखाराम पुत्र मानाराम
5. विशनाराम पुत्र मानाराम
6. लालूराम पुत्र भींयाराम
7. चुतराराम पुत्र भींयाराम
8. ताजाराम पुत्र भींयाराम
9. देवराम पुत्र भींयाराम
10. पूनाराम पुत्र चैनाराम
11. शिवाराम पुत्र चैनाराम
12. भूराराम पुत्र चैनाराम
13. दीपाराम पुत्र जेठाराम
14. हुकमाराम पुत्र जेठाराम
15. टीकमाराम पुत्र पूंजाराम
16. खरताराम पुत्र हडमतराम
17. भोमाराम पुत्र राणाराम
18. रावलराम पुत्र राणाराम
19. सवाईराम पुत्र राणाराम
20. धन्नाराम पुत्र राणाराम
21. शांतिदेवी पत्नी राणाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

22. स्वरूपाराम पुत्र खींयाराम के कायम मुकाम

22/1 शांतिदेवी पत्नी स्व. स्वरूपाराम

22/2 दुर्गेश पुत्र स्व. स्वरूपाराम

22/3 किशन पुत्र स्व. स्वरूपाराम

22/4 प्रिया पुत्री स्व. स्वरूपाराम सभी जातियान दर्जी निवासीगण लुम्बानसर (सुवालिया), तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर हाल निवासी 134, रूपनगर गली नं. 10 पावटा सी रोड, जोधपुर

23. जसाराम पुत्र खींयाराम

24. जोगाराम पुत्र खींयाराम

25. सायरी देवी पत्नी खींयाराम सभी जातियान दर्जी निवासी गण लुम्बानसर (सुवालिया), तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

26. गवरी पत्नी भींयाराम जाति दर्जी निवासी लुम्बानसर (सुवालिया), तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व कथित बंटवाडा आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 एवं उस कथित बंटवाडा आदेश के तहत दर्ज म्यूटेशन संख्या 240 दिनांक 22.02.2013, जो कि तहसीलदार, शेरगढ द्वारा ग्राम लुम्बानसर (सुवालिया) के खसरा नं. 929 रकबा 270 बीघा 04 बिस्वा मुतालिक स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री छोटू सिंह सोढा (अपीलार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री सुरजमल नवीन (रेस्पोडेन्ट 1 से 6, 8, 10 से 15, 26 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड (रेस्पोडेन्ट 16 से 21, 23 से 25 की ओर से)
4. शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9, 22/1 से 22/4 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक :— 18.03.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित बंटवाडा आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 को निरस्त करने तथा उक्त आदेश की पालना में दर्ज ग्राम लुम्बानसर (सुवालिया) का नामांतरकरण संख्या 240 दिनांक 22.02.2013 को निरस्त करने बाबत इस न्यायालय में दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

08.01.2019 को पेश की गई है तथा अपील के साथ, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम भी पेश किया है।

2. अपील दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार शेरगढ से बंटवाडा व नामांतरकरण से संबंधित अभिलेख मंगवाया गया।

3. अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लुम्बानसर (सुवालिया), तहसील शेरगढ, जोधपुर में खसरा सं. 929 रकबा 270–04 बीघा की भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी की आई हुई है। अपीलांट्स का कथन है कि उक्त भूमि का विभाजन हमने तहसील कार्यालय से कभी नहीं कराया है तथा न ही उन्होने बंटवाडा पत्र पर सहमति के हस्ताक्षर किये है। फिर भी तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 का हवाला देकर ग्राम लूम्बानसर का नामांतरकरण संख्या 240 पटवारी द्वारा दिनांक 15.02.2013 को ही दर्ज किया है तथा तहसीलदार ने दिनांक 22.02.2013 को स्वीकार किया है तथा उक्त आराजी का विभाजन मनमाने तरीके से कर दिया है, जो विधि प्रावधानों के विपरीत है तथा म्यूटेशन पारित करते वक्त भी हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। मौके पर कब्जों को नजर अंदाज करके हमारे फर्जी हस्ताक्षर करके बंटवारा करवाया है, जो हमें मंजूर नहीं है। उक्त बंटवारानामा क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 की जानकारी होने पर हमने तहसील से आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 27.07.2018 को मांगी, परंतु हमे नकल नहीं दी गई।

फिर अपीलांट्स ने सूचना के अधिकार के तहत जिला कलक्टर, जोधपुर से अपील संख्या 112/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2018 की पालना में तहसीलदार शेरगढ ने पत्रांक/भू.अ./2019/37 दिनांक 03.01.2019 से अवगत कराया कि बंटवाडा आदेश क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 की नकल/पत्रावली तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा नामांतरकरण संख्या 240 व नक्शा ट्रेस की प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त करे, जो अपीलांट को दिनांक 03.01.2019 को प्रदान की गई, लेकिन बंटवाडा आदेश की नकल नहीं दी गई, जिसका नामांतरकरण संख्या 240 में उल्लेख है। बंटवाडा आदेश उपलब्ध नहीं कराने से प्रथम दृष्ट्या पुष्टि करता है कि बंटवाडा आदेश जाली, बनावटी व मिलावटी तैयार दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया है। उक्त नामान्तरकरण के स्वीकार होने के बावजूद भी ख.न. 929 के नक्शे में तरमीम नही की गई है। प्रश्नगत नामांतरकरण की सर्वप्रथम जानकारी जून 2018 मे हुई, जब प्रत्यर्थीगण ने मौखिक रूप से बताया कि नकल प्राप्त करने के प्रयास से अपील पेश करने में देरी हुई है, जो स्वाभाविक है। अतः न्यायहित में देरी को क्षम्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

करने की प्रार्थना है। उक्त तथ्यों के आधार पर बंटवाड़ा आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 तथा उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 240 ग्राम लुम्बानसर दिनांक 22.02.2013 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। अपील के साथ सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्यवाही के पत्राचार के कागजात पेश किये है।

4. उक्तानुसार अपील पेश होने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2019 से खसरा नं. 929 की भूमि की मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तारीख तक बनाये रखने के आदेश पारित किये गये।

5. प्रत्यर्थी संख्या 16 से 21 तथा 23 से 25 ने लिखित जवाब पेश कर कथन किये है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में किये कथन सही है तथा अपील में अंकित तथ्यों अनुसार समुचित आदेश पारित किये जावे तथा उन्होने बंटवाडा पर कोई सहमति नहीं दी है तथा बंटवाडा गलत हुआ है।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढा ने अपील मीमो में अंकित कथन दोहराते हुए तर्क किया कि नामांतरकरण सं. 240 में उल्लेखित आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 तहसील से जारी ही नहीं हुआ है, जो तहसीलदार शेरगढ के पत्रांक 37 दिनांक 03.01.2019 से प्रमाणित है। जब अपीलांट अपने कब्जे की भूमि पर मकान बनाने लगे तो प्रत्यर्थीगण ने एतराज किया कि यह भूमि उनके बंट की है तथा हमे म्यूटेशन की जानकारी दी। इस प्रकार अपीलांट्स की सहमति के बिना फर्जी बंटवारा किया है, उसे व नामांतरकरण को खारिज किया जावे क्योंकि बिना विधिस्वरूप आदेश के नामांतरकरण स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इसी भूमि का बंटवारा करने का एक दावा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के न्यायालय में लंबित है। अतः बंटवारा व नामांतरकरण अपास्त किया जावे।

7. उपर्युक्त के विपरित प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सूरजमल नवीन ने बहस करते हुए कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 240 को चुनौती दी है, जबकि यह नामांतरकरण संख्या 240 तहसीलदार के आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 की पालना में दर्ज किया है, उस आदेश को चुनौती दी जानी चाहिए। इनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि बाबत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ में लंबित है। उक्त लंबित वाद में अपीलांट द्वारा अपील मीमो के पैरा 4 में उठाए गये बिंदुओं पर अपीलांट्स अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः जब तक विभाजन आदेश निरस्त नहीं हो जाता, तब तक नामांतरकरण अपास्त नहीं किया जा सकता तथा न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण यह अपील सधारण योग्य ही नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा विधिक प्रावधानों की जानकारी प्राप्त की–

a. राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित वाद के अतिरिक्त, समस्त अभिलिखित सह खातेदारों की आपसी सहमति के आधार पर लिखित इकरारनामा के माध्यम से भी खातेदारी, कृषि भूमि का तथा उस पर देय लगान का विभाजन करने का प्रावधान है तथा इस बाबत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24 E तथा राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तक में दी गई है तथा इस बाबत समय–समय पर राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं राजस्व मण्डल ने परिपत्र जारी कर प्रकिया निर्धारित की है, जिसमें परिपत्र दिनांक 08.09.1997, 06.11.2004 तथा 30.11.2004 राज्य सरकार द्वारा तथा परिपत्र दिनांक 05.10.2020 राजस्व मण्डल द्वारा जारी किये गये है। उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार आराजी विभाजन का कार्य न्यायालय तहसीलदार द्वारा संपादित किया जाता है, जिसमें राजस्व कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों अनुसार, विभाजन बाबत प्रार्थना पत्र पेश होने पर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा सभी पक्षकारों (सहखातेदारों) की पुख्ता पहचान सुनिश्चित करते हुए "इकरारनामा बंटवाडा" में अंकित विभाजन प्रस्तावों बाबत सभी सहखातेदारों की स्वतंत्र सहमति होने के तथ्य को सुनिश्चित करने के पश्चात् सहमति अभिलिखित करते हुए तहसीलदार द्वारा विभाजन का आदेश पारित किया जाता है तथा उस आदेश की पालना में ही, आदेशानुसार रिकॉर्ड व नक्शों में इन्द्राज/तरमीम की जाती है। अगर पक्षकारों (सहखातेदारों) में विवाद है, तो इकरारनामा के माध्यम से भूमि का विभाजन नहीं किया जा सकता तथा उसका अनुतोष सहायक कलक्टर के न्यायालय में नियमित वाद दायर करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

b. उक्त विधिक एवं प्रकियात्मक स्थिति के बावजूद भी हस्तगत अपील में तहसीलदार शेरगढ ने पत्रांकः भू.अ./2019/37 दिनांक 03.01.2019 से अपीलांट को सूचित किया है कि ग्राम लुम्बानसर के खसरा संख्या 929 की भूमि के बंटवाडा बाबत आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 जारी होना नहीं पाया जाता है न ही बंटवारा पत्रावली उपलब्ध पाई गई जबकि तहसीलदार शेरगढ के पत्रांक भू.अ./मू./नि./1898 दिनांक 19.12.2019 से प्राप्त नामांतरकरण संख्या 240 ग्राम लुम्बानसर के कॉलम संख्या 14 से 16 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

निम्नानुसार प्रविष्टि पटवारी चाबा ने दिनांक 15.02.2013 को अंकित की है:– "श्रीमान तहसीलदार साहब, शेरगढ के आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 की पालना में आपसी सहमति से किये गए बंटवाडा का नामांतरकरण वास्ते स्वीकृति पेश है" हस्ता. पटवारी चाबा

इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 240 पर भू.अ. निरीक्षक, सो. तला ने "जांच किया, अंकन सही पाया।" बुधाराम ILR उक्त के बाद स्वीकृत –Sd- 22.02.2013 तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ

उक्त तीन अधिकारियों ने नामांतरकरण संख्या 240 पर उपरोक्तानुसार अंकित विवरण किस आधार पर किया है। परंतु हैरानी की बात यह है कि तहसीलदार शेरगढ के कार्यालय में तथा पटवारी चाबा के कार्यालय में अर्थात् दोनो जगह आक्षेपित आदेश की प्रति तथा पत्रावली उपलब्ध नहीं है, फिर भी नामांतरकरण स्वीकृत हुआ परंतु बंटवारा अनुसार खसरा नं. 929 में तरमीम दिनांक 03.01.2019 तक नहीं की गई है, जो कि राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 125 की मांग है। नामांतरकरण की पुस्त पर स्वीकृत बंटवारा अनुसार तरमीम अक्ष खींचने के नियमों में प्रावधान है परंतु भू.अ. निरीक्षक व तहसीलदार ने नियमों की अवहेलना करते हुए अंकन सही मानकर नामांतरकरण स्वीकृत कर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया है, जो नियम विरूद्ध है, परंतु अब ग्राम लुम्बानसर के खसरा नं. 929 में तरमीम करके खसरा नं. 929 से 929/33 तक सृजित किये है तथा नामांतरकरण संख्या 240 में दिये विवरण अनुसार जमाबंदी में अलग–अलग खाते सृजित किये है। उक्तानुसार अभिलेखों में किये गये परिवर्तनों से संबंधित सक्षम आदेशों तथा बंटवारा की पत्रावली तहसीलदार शेरगढ व पटवारी चाबा के पास उपलब्ध ही नहीं है। इस न्यायालय से बंटवाडा से संबंधित पत्रावली मांगने पर भी तहसीलदार, शेरगढ ने पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई है तथा सिर्फ नामांतरकरण संख्या 240 की परत ही उपलब्ध कराई है तथा बिना सक्षम आदेश के बंटवारा नहीं हो सकता तथा बिना आदेश के नामांतरकरण दर्ज नहीं हो सकता है तथा बंटवारा बाबत प्रस्तुत मूल इकरारनामा तहसील कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है, जिसके अभाव में बंटवारा प्रस्तावों व उस पर पारित आदेशों की वैधता [illegible] तथा अपीलांट द्वारा उठाए गये आक्षेपों को स्वीकार करने [illegible] इस न्यायालय के पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। [illegible] अतिरिक्त [illegible]र्थीगण ने भी विवादित आदेश कमांक 740 दिनांक 15.02.2013 की [illegible] प्रतियां या अन्य सुसंगत अभिलेख पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नहीं किया है तथा दोनो पक्षों का कथन है कि आराजी के विभाजन का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ में विचाराधीन/लंबित है।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक प्रावधानों अनुसार स्पष्ट है कि आक्षेपित मूल बंटवाडा–इकरारनामा व उसके संलग्न प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तथा रंगभरा विभाजन का नक्शा तथा उस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर एवं उनकी पहचान से संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं है तथा उक्त रिकॉर्ड के अभाव में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विक्षेपित बंटवाडा–इकरारनामा व उसके आधार पर पारित विवादग्रस्त आदेश क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 की जानकारी अपीलांट्स को भली भांति थी तथा जानकारी होते हुए भी, अपीलांट्स ने निर्धारित कानूनी समय सीमा के भीतर यह अपील इस न्यायालय में जानबूझकर पेश नहीं की है तथा अपीलांट्स निष्क्रिय रहे है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेंट संख्या 16 से 21 तथा 23 से 25 तक ने भी बंटवाडा को गलत बताया है तथा उनका यह भी कथन है कि उनकी सहमति नहीं ली गई है तथा अपीलांट्स के कथन सही है तथा इसके खण्डन में रेस्पोंडेंट्स ने कोई जवाब मय शपथ पत्र पेश ही नहीं किया है।

उक्त तथ्यात्मक स्थिति के कारण तथा अपीलांट्स द्वारा बंटवाडा से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने में किये गये प्रयत्नों से भी स्पष्ट है कि उन्होने जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है। अतः न्यायहित में अपीलांट्स सांविधिक साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है एवं अपील को अंदर म्याद प्रस्तुत किया जाना सुमार किया जाता है।

10. उक्तानुसार विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि आक्षेपित आदेश क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 कार्यालय तहसीलदार शेरगढ जारी नहीं हुआ है तथा इससे संबंधित बंटवाडा की पत्रावली भी उपलब्ध नहीं है। अतः विवादित आदेश क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है। फलस्वरूप उक्त अपास्त किये गये आदेश क्रमांक 740 दिनांक 15.02.2013 के आधार पर ग्राम लुम्बानसर (सुवालिया) का नामांतरकरण संख्या 240 स्वीकृत दिनांक 22.02.2013 भी अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है तथा उक्त आदेश दिनांक 15.02.2013 एवं नामांतरकरण संख्या 240 ग्राम लुम्बानसर के आधार पर खसरा सं. 929 रकबा 270–04 बीघा की भूमि बाबत किये गये पश्चातवर्ती इन्द्राज यथा जमाबंदी तथा नक्शा किश्तवार में की गई तरमीम इत्यादि को भी अपास्त किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11. यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि विवादग्रस्त खसरा नं. 929 की भूमि का विभाजन सभी सहखातेदार नए सिरे से विधि प्रावधानानुसार करवाने के लिए स्वतंत्र है।

12. निर्णय की प्रति तहसीलदार शेरगढ को भी भेजी जावे तथा तहसीलदार शेरगढ से प्राप्त मूल नामांतरकरण संख्या 240 ग्राम लुम्बानसर का अभिलेख उन्हे तुरंत लौटाया जावे।

13. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2019 को पारित यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रत्याहरित किया जाता है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र व अन्य प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते है एवं तहसीलदार शेरगढ को आदेश दिये जाते है कि इस निर्णय की पालना की जाकर, विक्षेपित विभाजन आदेश व नामांतरकरण स्वीकृत होने से पूर्व की अभिलेखीय स्थिति पुनः बहाल करके रिकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा स्थगन आदेश होते हुए भी अगर रिकॉर्ड में अमलदरामद/नक्शे में तरमीम की है तो उसकी जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट इस न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु 15 दिवस में पेश करे।

14. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखित दफ्तर हो तथा नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
18/3/25
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
18/3/25
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested